प्रेस नोट

थाना टहरौली झांसी

15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झाँसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय टहरौली के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार सिंह थाना टहरौली के कुशल नेतृत्व में टहरौली पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत अभियुक्ता नीशा पत्नी दिनेश कुमार निवासी ग्राम अशोक नगर बकायन थाना टहरौली जिला झांसी उम्र 25 वर्ष से अवैध कच्ची शराब बरामद होने पर अभियुक्ता उपरोक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 32/26 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना टहरौली जनपद झांसी पंजीकृत किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:

आज दिनांक 13.02.26 को उ0नि0 गिरजेश कुमार मय हमराह म0का0 1981 दीक्षा शर्मा को दौराने क्षेत्र भ्रमण सूचना मिली कि एक महिला मछली मण्डी के पीछे बमनुआं रोड पर बबूल के पेड के पास एक प्लास्टिक की पिपिया में अवैध कच्ची शराब लिये खड़ी है किसी का इन्तजार कर रही है। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ी जा सकती है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 उपरोक्त मय हमराह महिला का0 के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे तो एक महिला प्लास्टिक की पिपिया में अवैध शराब लिये खड़ी मिली जिसे म0का0 की मदद से कारण गिरफ्तारी बताते हुये गिरफ्तार कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्रीमती नीशा पत्नी दिनेश कुमार निवासी ग्राम अशोक नगर बकायन थाना टहरौली जिला झांसी उम्र 25 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुयी दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो अक्षरशः पालन किया गया।

बरामदी का विवरण –

अभियुक्ता के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 15 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह – थाना टहरौली झांसी
उ0नि0 श्री गिरजेश कुमार थाना टहरौली झांसी
म0का0 1981 दीक्षा शर्मा थाना टहरौली झांसी

थाना टहरौली
जनपद-झाँसी(उ.प्र.)